

# ऋण का चक्र: जलवायु परिवर्तन किस तरह किसानों को गहरे वित्तीय संकट की ओर ले जा रहा है

डॉ. इलिया जाफर

मानवतावादी और विकास

बहुत पहले नहीं, फसलों के लिए बारिश पर निर्भरता सिर्फ आम बात नहीं थी- यह स्वाभाविक था। हाल के वर्षों में वर्षा आधारित फसल उत्पादन में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है जो चिंताजनक है। 2080 तक, गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों की पैदावार में क्रमशः 40 प्रतिशत और 47 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे कृषि पर निर्भर लाखों भारतीयों की आजीविका को खतरा हो सकता है। इन दिनों, किसान कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें अनियमित मौसम पैटर्न, तेजी से बढ़ते खर्च और वित्तीय सहायता की भारी कमी सम्मिलित है, जो उन्हें भारी मात्रा में कर्ज में डूबने के लिए विवश करती है।



दीर्घकालिक सूखे, अचानक बाढ़ और बदलते रोपण मौसम के कारण, बारिश के पैटर्न बेहद अप्रत्याशित हो गए हैं, जिससे किसानों के लिए समायोजन करना कठिन हो गया है। जैसे-जैसे पैदावार कम होती जाती है और पूरी फसल बर्बाद होती जाती है, बारिश पर निर्भर रहने वाले लोग निराश होकर देखते हैं। कई किसानों को अपने खेतों को बनाए रखने और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। हर साल, बीज, खाद और कीटनाशकों की कीमत बढ़ जाती है। हताश किसान स्थानीय साहूकारों की ओर रुख करते हैं, जो अत्यधिक ब्याज दरों की मांग करते हैं और जब बैंक उन्हें अस्वीकार कर देते हैं, तो उन्हें उधार के अंतहीन चक्र में फंसाए रखते हैं। भारत में, 2019 तक एक किसान परिवार का औसत ऋण 74,121 रुपये था। यह छोटे किसानों के लिए एक गंभीर खतरा है। बार-बार

फसल खराब होने के बाद प्रायः उनकी जमीन की कीमत पर अतिरिक्त ऋण दिए जाते हैं। उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने, शहर में जाने या सबसे खराब स्थिति में, जब ऋण जमा करना और चुकाना उनके लिए संभव नहीं होता है, तो आत्महत्या करने जैसे कठिन विकल्प चुनने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों के बाद भी कई किसान असुरक्षित बने हुए हैं, जिसने फसल बीमा देने का प्रयास किया, लेकिन इसमें जटिल कागजी कार्रवाई और सीमित पहुंच सम्मिलित थी। हालाँकि किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम ने कम लागत वाला ऋण दिया, लेकिन कई लोग सख्त पात्रता मानकों और लंबी प्रसंस्करण अवधि के कारण इसे वहन नहीं कर सकते हैं। साथ ही, जलवायु आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के कारण ये सुरक्षा जाल डूब रहे हैं। किसान अगले संकट के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जब मुआवजा आता है,

तो यह शायद ही कभी वास्तविक नुकसान की भरपाई करता है। वित्तीय दबाव ऋण से परे भी होते हैं। श्रम लागत, बिजली बिल और परिवहन व्यय में वृद्धि जारी है, जो पहले से ही कम लाभान्श दे रहा है। उचित भंडारण सुविधाओं के बिना, छोटे किसानों को फसल कटने के तुरंत बाद बेचना पड़ता है, जब कीमतें बहुत कम हो जाती हैं। कृषि बाजारों पर बिचैलियों का दबाव है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें निर्यात से किसानों की उपज पर डॉलर में आय मिलें। इस विनाशकारी चक्र को तोड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता, जलवायु लचीलापन उपायों और संस्थागत ऋण पहुंच का संयोजन आवश्यक है।

- **जलवायु लचीलेपन के लिए मनरेगा का लाभ उठाएँ।** इस कार्यक्रम में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित 164 कृषि परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म जलग्रहण विकास और मृदा संरक्षण के प्रयास उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, साथ ही ऑफ-सीजन रोजगार प्रदान कर सकते हैं, जिससे ऋण पर निर्भरता कम हो सकती है। ये पहल क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्जीवित करने और मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायता करती हैं।
- **पीएमकेएसवाई के माध्यम से ड्रिप सिंचाई का विस्तार करें।** जल संरक्षण के लाभ बहुत बड़े हैं-किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं, बेहतर उपज देखते हैं और इनपुट पर कम खर्च करते



- हैं। ग्रामीण जल भंडारण में निवेश करने से अनियमित वर्षा के विरुद्ध और अधिक सुरक्षा मिलेगी।
- **किसान क्रेडिट कार्ड तक पहुँच बढ़ाएँ।** छोटे किसानों को शिकारी साहूकारों से बचने के लिए संस्थागत ऋणा की सख्त आवश्यकता है। आवेदनों को सरल बनाने और कवरेज का विस्तार करने से किफायती ऋणा सुलभ हो जाएँगे। निष्पक्ष, पारदर्शी ऋणा वसूली प्रथाओं से संघर्षरत किसानों को और अधिक परेशान होने से रोका जा सकता है।
- **इनपुट सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुँचाएँ।** खाद, बीज और कीटनाशकों के लिए डिजिटल बैंक हस्तांतरण बिचैलियों को दूर रखेगा। जैविक खेती की विधियों को बढ़ावा देने से महंगे रसायनों पर निर्भरता कम होगी और साथ ही मिट्टी की दीर्घकालिक सेहत में सुधार होगा।
- **महिला किसानों का समर्थन करें।** कृषि कार्यबल का एक बड़ा भाग होने के बाद भी, महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व, ऋणा पहुँच और प्रशिक्षण के अवसरों की कमी है। लक्षित शिक्षा और वित्तीय सहायता पूरे ग्रामीण समुदायों को मजबूत करेगी। सहकारी मॉडल और स्वयं सहायता समूह महिलाओं की बाजारों तक पहुँच में सुधार कर सकते हैं।
- **लक्षित ऋण राहत लागू करें।** ऋणा माफी संकट में किसानों को तत्काल राहत प्रदान करती है। अंतर्निहित समस्याओं को हल करने के बाद भी, पुनर्भुगतान अवधि का पुनर्गठन और ब्याज दरों को कम करने से आगे की वित्तीय बर्बादी को रोका जा सकेगा।
- **बाजार पहुँच में सुधार करें।** मजबूत किसान-उत्पादक संगठन छोटे किसानों को उचित मूल्य पर बातचीत करने में सहायता करते हैं। बेहतर भंडारण सुविधाएं, कोल्ड चेन और प्रत्यक्ष बाजार चैनल बर्बादी को कम करेंगे और आय को बढ़ाएंगे। किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने वाले डिजिटल बाजार शोषक बिचैलियों को समाप्त कर सकते हैं।
- **फसल विविधता और जलवायु-लचीली खेती को बढ़ावा दें।** एक ही फसल पर निर्भरता किसानों को आपदा के प्रति संवेदनशील बनाती है। सरकारी विस्तार सेवाओं को सूखा प्रतिरोधी किस्मों और कृषि वानिकी मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए जो दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
- **ग्रामीण वित्तीय साक्षरता का निर्माण करें।** कई किसान मौजूदा सरकारी योजनाओं से अनजान हैं जो उनकी सहायता कर सकती हैं। मूलभूत वित्तीय ज्ञान सिखाने वाले स्थानीय कार्यक्रम किसानों को ऋणा, बीमा और बचत के बारे में बेहतर निर्णय लेने में सहायता करेंगे।
- **सामुदायिक जोखिम-साझाकरण को प्रोत्साहित करें।** सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह किसानों को संसाधनों को एकत्रित करने और जोखिम को वितरित करने की अनुमति देते हैं। इससे ऋणा तक पहुँच में सुधार होता है, कम कीमतों पर थोक खरीद संभव होती है और खरीदारों के साथ बातचीत करने की शक्ति मजबूत होती है।
- **जलवायु परिवर्तन पहले से ही लाखों कृषक परिवारों के लिए खतरा है।** तत्काल कार्रवाई के बिना, ऋणा चक्र और भी बुरा हो जाएगा, जिससे ग्रामीण समुदाय नष्ट हो जाएँगे। किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है - वित्तीय सहायता, मूलभूत संरचनात्मक विकास और नीति सुधार। कार्रवाई करने का समय अभी है, इससे पहले कि और अधिक किसान अपनी जमीन, अपनी आशाएँ और अपना जीवन खो दें।

